संख्या-16 /2018/759/53-2-18-2(24)/13

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 16 मई, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को (प्रोत्साहन) गोकुल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त के पत्र संख्या-21/दुग्ध-4/नियो0/गोकुल पुरस्कार(19)/2016-17, दिनांक-06.04.2018 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त अधिकतम दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'गोकुल पुरस्कार' से पुरस्कृत करने हेतु शासनादेश संख्या 658/53-2-18-2(24)/2013 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अन्तर्गत स्थापित दुग्ध संघों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले एक-एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो और समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को सर्वाधिक दूध का विक्रय करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार क्रमश: 2.00 लाख, रू0 1.50 लाख तथा शेष 73 जनपदों के दुग्ध उत्पादक विजेताओं को रू0 51000/- (रू0 इक्यावन हजार मात्र) की दर से नगद पुरस्कार एवं एक-एक शील्ड जिस पर एक गाय, दूध पीता बछड़ा तथा श्रीकृष्ण की निर्मित मूर्ति अंकित होगी, प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 54.00 लाख (रू0 चौवन लाख मात्र) के व्यय की निम्नलिखित तालिका में अंकित मदों के अनुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**विवरण**	**संख्या**	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1	दुग्ध उत्पादक विजेता को रू0 51000.00/-(रू0 इक्यावन हजार मात्र) की दर से नकद पुरस्कार	73	37.23
2	दुग्ध उत्पादक विजेता को दी जाने वाली शील्ड तथा अन्य पर होने वाले व्यय की धनराशि	75	13.27
3	प्रदेश में समितियों के माध्यम से सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रू0 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रू0 1.50 लाख	02	3.50
	योग-		**54.00**

(रू0 चौवन लाख मात्र)

....2/.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उपर्युक्त स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-800-अन्य व्यय-03-गोकुल पुरस्कार का वितरण-42 अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30 मार्च, 2018 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- /2018/759(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
10- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in